न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर जिला हनुमानगढ

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

प्रकरण सं0 01/2019

1. विक्रम पुत्र जयसिंह जाति जाट उम्र 8 साल नाबालिग जरिये कुदरती संरक्षक माता शकुन्तला पत्नी जयसिंह उम्र 33 साल निवासी रामका तहसील रावतसर जिला हनुमागनढ़।
2. प्रेरणा पुत्री जयसिंह जाति जाट उम्र 10 साल नाबालिग जरिये कुदरती संरक्षक माता शकुन्तला पत्नी जयसिंह उम्र 33 साल निवासी रामका तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

—अपीलान्टस

बनाम्

1. गौरीशंकर पुत्र भंवरलाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड स0 16 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. गुगनराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी रामका तहसील रावतसर।
3. तहसीलदार राजस्व नोहर रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध नामान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2019 नामान्तरण संख्या 1072 रोही मौजा रामंका तहसील रावतसर अपास्त किये जाने।

उपस्थितः— श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट

निर्णय दिनांकः— 30.07.2020

अपील अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न है—

1. नामान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2019 नामान्तरण आदेश 1072 रोही मौजा रामंका तहसील रावतसर विधि की अवहेलना में पारित किया गया है जो अपास्नीय है।
2. अपीलान्ट के दादा रेस्पोडेन्ट स0 2 गुगनराम पुत्र धन्नाराम के नाम से रोही मौजा रामंका तहसील रावतसर के खाता स0 55/45 के ख0 न0 1364/1040 की 5.0600 हैक्ट बारानी व अन्य जगह करीब 70—80 बीघा बारानी कृषि भूमि थी जो की संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति थी। जिसमें रेस्पो स0 2 गुगनराम एवं दो पुत्र जयसिंह व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Web Copy - Not Official

रामनारायण एवं दो पुत्रीयों सन्तोष व जैता पांचो वाद भूमि में ब.हि.ब. प्रत्येक का 1/5 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार हुवे। उक्त संयुक्त सहदायकी कृषि भूमि रोही मौज रामंका तहसील रावतसर के खाता स0 55/45 के ख0न0 1364/1040 की 5.0600 हैक्ट बारानी भूमि एवं अन्य जगह करीब 70–80 बीघा भूमि प्रतिवादी स0 2 गुगनराम के बतौर कर्ता खनदान दर्ज थी। जो संयुक्त हिन्दु परिवार की मुश्तरका खाते की कृषि भूमि थी जो की अपीलान्ट के दादा गुगनराम का जिसमें अपीलान्ट के पिता जयसिंह एवं रामनारायण, सन्तोष जैता के साथ संयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा था जो कि प्रविवादी स0 2 गुगनराम को संयुक्त परिवार की भूमि को विक्रय करने दान करने या अन्य किसी भी तरीके से अन्तरण करने का अधिकार नही था । परन्तु रेस्पो0 सं0 2 ने रेस्पो0 स0 1 के पिता भंवरलाल के बहकावे में आकर पूर्व में करीब 70–80 बीघा कृषि भूमि भंवरलाल अग्रवाल तथा अन्य को औने पोने दामों में बेय कर दी थी। इसके बाद रेस्पो0 स0 2 के पास मात्र 5.0600 हैक्ट बारानी भूमि शेष बची जिसमें 2.5300 हैक्ट कृषि भूमि रेस्पो0 स0 2 गुगनराम द्वारा मनमर्जी व भंवरलाल कानसरिया जो कि रेस्पो0 स0 1 का पिता है के बहकावे व अनुचित दवाब मे आकर रेस्पो0 स0 1 गोरीशंकर के पक्ष में दिनांक 07.09.2019 को बैयनामा रजि. करवा दिया क्योंकि रेस्पो0 स0 1 के पिता ने रेस्पो0 स0 2 को धोखा में रखकर दो कुटरचित इकरारनामे पूर्व मे तहरीर करवाऐ थे तथा उक्त इकरारनामें का दवाब बनाकर रेस्पो0 स0 2 से उक्त बैयनामा रजिस्ट्रड करवाया है रेस्पो0 स0 2 को तथाकथित बैयनामा के जरिये वादग्रस्त कृषि भूमि स्थान्तरित करने का अधिकार नही था। क्योंकि अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हिस्सा था। तथा अपीलान्ट को उनके हिस्से से महरूम किया गया है। जिसक पर अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश संख्या 1 नोहर कैम्प रावतसर के यहा एक वाद बाबत बैयनामा दिनांक 07.09.2018 को अवैध व शुन्य घोषित करने एवं शाश्वत व्यादेश हेतु न्यायालय अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश संख्या 1 नोहर कैम्प रावतसर के यहा प्रस्तुत किया।

3. न्यायालय अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश संख्या 1 नोहर यहा बअनवानी बाद विक्रम बनाम गोरीशंकर आदि वाद के साथ इसी अनवान से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 24.12.2018 को अन्तरित अस्थाई व्यादेश इस आश्यों का जारी किया गया कि विवादित भूमि को किसी प्रकार रहन/बैय करने या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित ना करे उसके बाद आगामी पेशी जवाब टी.आई. हेतु 19.01.2019 निर्धारित कर दी गई तथा जवाब तक स्थगन जारी कर दिया गया परन्तु रेस्पो0 स0 1 ने बैयनामा दिनांक 07.09.2018 जो कि अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश नोहर कैम्प रावतसर के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

समक्ष अवैध व शुन्य घोषित करने का वाद जैरकार था तथा उक्त बैयनामा दिनांक 07.09.2018 पर अब किसी प्रकार के रहन/बैय व हस्तान्तरण पर स्थगन आदेश जारी हुवा था। उक्त स्थगन आदेश दिनांक 24.12.2018 के जैरकार रहते मातहत अदालत ने विधि की अवहेलना मे अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्तनीय है।

4. मातहत अदालत अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश मुकदमा दीवानी संख्या 106/2018 बअनवानी विक्रम आदि बनाम गोरीशंकर आदि दिनांक 24.12.2018 को जारी स्थगन आदेश की अवहेलना में अपीलाधीन आदेश पारित किया गय है जो अपास्तनीय है।
5. मातहत अदालत ने अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया तथा अपीलान्ट को कोई नोटिस भी नही दिया तथा जवाबदेही व साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना गैरकानूनी ढ़ंग से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित है इसलिए अपीलाधीन निर्णय अपास्तनीय है।
6. न्यायालय अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश सं. 1 नोहर कैम्प रावतसर के यहा विक्रम आदि बनाम गौरीशंकर आदि वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जैरकार था तथा स्थगन आदेश दिनांक 24.12.2018 मे आगे भी जवाब प्रस्तुति तक वाद भूमि किसी प्रकार से हस्तान्तरित ना करने हेतु रहन/बैय आदि से रेस्पो0 को पाबन्द किया गया था। तथा बैयनामा दिनांक 07.09.2018 को अवैध व शुन्य घोषित कराने के वाद में लम्बित रहते व स्थगन के लम्बित रहते मातहत अदालत को नामन्तरण आदि की कार्यवाही को रोक देना चाहिए था। स्थगन आदेश के विरूद्ध नामान्तरण रद्द किये जाने योग्य है। तथा सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के तहत वाद के लम्बित रहते/स्थगन के लम्बित रहते अन्य कोई भी कार्यवाही रोक देनी चाहिए थी परन्तु मातहत अदालत ने उपरोक्त कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर गैर कानूनी ढ़ंग से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाधीन नामान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2019 नामान्तरण स0 1072 रोही मौजा रामंका तहसील रावतसर बअदालत तहसीलदार राजस्व रावतसर अपास्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट व अधिनस्थ न्यायालय के रिकार्ड की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध दिनांक 07.01.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस अधिवक्ता अपीलान्ट एक पक्षीय सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की कुल भूमि 5.0600 हैक्टयर है इसमें गुगनराम का 1/5 हिस्सा था (करीब 4 बीघा) इसने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 10 बिघा भूमि का बेचान कर दिया। अपने हिस्से से 6 बिघा भमि अधिक बेचान कर दी। बयनामा दिनांक 07.09.2018 द्वारा बेचान किया गया। इसे शुन्य घोषित कराने हेतु हमनें सिविल न्यायालय में वाद पेश किया वहा से स्थगन प्राप्त कर लिया जो आज भी जारी है। स्थगन दिनांक 24.12.2018 को जारी हुआ म्यूटेशन दिनांक 15.01.2019 को हुआ स्थगन होते हुए भी म्यूटेशन दर्ज कर स्वीकृत कर दिया गय हमें सुना भी नही गया। तहसीलदार को स्टे की जानकरी थी जिसकी पालना हेतु पटवारी को भी इन्होने भेजा था। RRC 2001 पेज न 501 व RRT 2013 Vol-II पेज न0 1033 का दृष्टांत देकर बताया की स्टे के बावजूद नामान्तरकरण करना अवैधानिक है खारिज फरमाया जावें।

बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है की अपीलांट के द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधिश संख्या 1 नोहर कैम्प रावतसर में आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2018 को अपीलान्ट के पक्ष में अंतरिम अस्थाई व्यादेश जारी किया गया जो अपीलान्ट द्वारा पेश प्रमाणित प्रतिलिपी से साबित है। इन परिस्थितियों में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2019 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलाशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

30/07/2020

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official